रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 359] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 1978/श्रावण 2, 1900
No. 359] NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 1978/SRAVANA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1978

दीपघर और दीपपोत

का. आ. 463(अ).—दीपघर अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा. आ. 302(इ), तारीख 15 अप्रैल, 1978 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समाप्ति

के बाद की तारीख से भारत के सभी पत्तनों पर इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में सूचित जहाजों के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तंभ (2) में निर्धारित दरों पर प्रकाश देयताएं देय होंगी ।

अनुसूची

जहाज का विवरण	प्रकाश देयताओं की प्रति टन दर
(1)	(2)
(क) पाल जहाजों से भिन्न सभी समुद्रगामी जहाज	1.50 रु.
(ख) पाल जहाज	6 पैसे

[सं. एल वी एल-1/78]

स. स. गिल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1978

LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS

S.O. 463(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927), and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. S O. 302(E), dated the 15th April, 1976, the Central Government hereby directs that, with effect from the day following the expiration of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, light-dues shall be payable at all ports in India in respect of ships described in column (1) of the Schedule hereto annexed at the rates prescribed in column (2) thereof.

SCHEDULE

Description of ship	Rate of light-dues per ton
(1)	(2)
(a) All ships other than sailing ships	Rs. 1.50
(b) Sailing ships	Paise 6

[F. No. LPL-1/78]

S. S. GILL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978